डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मई 2001—ज्येष्ठ 9, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 979 एफ/10/200/2001/वा.क./पांच (17).— चूंकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है :

संशोधन

उक्त कथित नियम में,

1. नियम 5 में :

(1) उप-नियम (1) में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "सात" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(2) उप-नियम (2) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा :

"(घ) माल पर कर की दर 8 प्रतिशत होने की स्थिति में :

(i) एक लाख रुपये तक के सकल आवर्त होने की दशा में : आवर्त का 4 प्रतिशत

(ii) एक लाख रुपये से अधिक आवर्त होने पर: चार हजार रुपये + एक लाख रुपये से अधिक आवर्त का 8 प्रतिशत."

2. नियम 19 के उप-नियम (4) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा :

"(घ) प्रत्येक पंजीयत व्यवसायी, जिन्हें उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन विवरण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वर्ष के अंतिम विवरणी के साथ, पूरे वर्ष के लिये, माल खाते का नकल, खरीदी सूची, गणना पत्रक विवरण पत्र में दर्शित छूट से संबंधित अभिलेख तथा कर भुगतान के चालान प्रस्तुत करेगा."

3. नियम 42 के पश्चात् निम्न नियम जोड़े जायेंगे, यथा :

"नियम 42-क स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी व्यक्तियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र का प्रदाय, संशोधन एवं निरस्तीकरण :

(1) धारा 35-ख की उप-धारा (1) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप 42-क में दिया जायेगा.

(2) पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकृत करने वाला अधिकारी, यदि उसे समाधान हो जाता है कि, आवेदन सही है तथा आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत की गई है, प्रारूप 42-ख में पंजीयन प्रदान करेगा. यदि पंजीकृत करने वाले अधिकारी को समाधान हो जाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है या आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत की नहीं गई है तो वह आवेदक को निर्देशित करेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारियां, जो आवश्यक समझी जावे, को प्रस्तुत करें. अतिरिक्त जानकारियों पर विचार पश्चात् पंजीकृत करने वाला अधिकारी प्रारूप 42-ख में पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदाय करेगा.

(3) उप-नियम (2) के तहत प्रदाय किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति, यदि उसमें संशोधन/निरस्तीकरण चाहता है, तो वह एक आवेदन पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित पंजीयन प्रदान करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा उसमें चाहे गये संशोधन/निरस्तीकरण के कारणों का विशिष्ट रूप से कथन करेगा, और उस पर विहित प्राधिकारी यदि दिये गये कारणों से संतुष्ट हो तो तदानुसार पंजीयन प्रमाण-पत्रों में संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगा.

नियम 42-ख स्रोत पर कर की कटौती करने के दायी व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना :

(1) अधिनियम के तहत स्रोत पर कटौती करने के दायी प्रत्येक पंजीयत व्यक्ति द्वारा प्रारूप 42-ग में विवरणी प्रस्तुत की जायेगी. प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी, उसके पश्चात्वर्ती माह के 30वें दिवस को या उससे पूर्व, सप्लायर/ठेकेदार को किये गये भुगतान एवं भुगतान से की गई कर की कटौती को दर्शाते हुए करेगा.

(2) उप-नियम (1) के निर्बन्धों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, त्रैमास के लिए निर्धारित तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करेगा, भले ही सप्लायर/ठेकेदार से स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की गई हो.

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक विवरणी के साथ धारा 34 एवं 35 के प्रावधानों के तहत देय कर के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति संलग्न की जायेगी."

4. नियम 91 में प्रविष्टि क्रमांक 10-क के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंतः स्थापित की जायेगी :

"10-ख 35 ख एवं 35-ग	पंजीयन प्रदाय करना शास्ति आरोपित करना	आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा लिखित अनुमति पर वाणिज्यिक कर अधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

5. फार्म 42 के पश्चात् निम्न प्रारूप अंत:स्थापित किये जायेंगे :

"फार्म 42-क"

[देखिये नियम 42-क (1)]

स्रोत पर कटौती हेतु दायी व्यक्ति द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त . . . .

मैं, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 35-ख के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता हूं, विवरण निम्नानुसार है :

(1) आवेदक का नाम . . . .

(2) कार्य के प्रमुख स्थान का पता (भवन/गली/सड़क/म्युनिसिपल वार्ड/नगर/शहर/तहसील/जिला) . . . .

(3) आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की प्रास्थिति (स्वामी/भागीदार/मुख्य पदाधिकारी/एजेन्ट/प्रबंधक/निर्देशक/सचिव) . . . . . .

(4) व्यक्ति की श्रेणी (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/निगम/सोसायटी/क्लब/एसोसिएशन) . . . .

(5) यदि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीयत हो तो पंजीयन क्रमांक :

(क) वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन . . . .

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन . . . .

(ग) सप्लाई/ठेके की प्रकृति जिसके कारण स्रोत पर कटौती का दायित्व आता है . . . .

दिनांक : . . . . हस्ताक्षर . . . .

स्थान : . . . . प्रास्थिति . . . .

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पते की विशिष्टियां आवेदक द्वारा भरी जाएं)

फार्म 42-क में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त किया

आवेदक का नाम . . . .

डाक का पूर्ण पता . . . .

स्थान : . . . .

प्राप्तकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : . . . .

फार्म 42-ख

[देखिए नियम 42-क (2)]

स्रोत पर कर की कटौती करने के दायी व्यक्तियों का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक . . . .

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . .स्थान . . . . .स्वामी/भागीदार/प्रमुख पदाधिकारी/एजेन्ट/प्रबंधक/कार्यालय प्रमुख/ फर्म/क्लब/एसोसिएशन/सोसायटी/निगम/कम्पनी का पंजीयन छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 35-ख के अंतर्गत किया गया है.

पंजीयन प्रमाण-पत्र धारक निम्न प्रकृति की सप्लाई/ठेकों के लिए स्रोत पर कर की कटौती हेतु दायी है :

मुद्रा

स्थान : . . . .

हस्ताक्षर . . . .

दिनांक : . . . .

पदनाम . . . .

फार्म 42-ग

[देखिए नियम 42-ख (1)]

स्रोत पर कटौती के दायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

अवधि . . . . .से . . . . के लिए देय कर की विवरणी

व्यक्ति का नाम . . . .

पता . . . .

पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . .

अ. क्र.	सप्लायर/ठेकेदार का विवरण, नाम व पता, पंजीयन क्रमांक, (यदि कोई हो)	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान से संबंधित ठेके/सप्लाई की प्रकृति	भुगतान से कर की कटौती		टिप्पणी
					कर की दर	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

देय कर की राशि . . . .

चालान क्रमांक एवं दिनांक सहित भुगतान की गई राशि रुपये . . . .

उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : . . . . हस्ताक्षर . . . .

दिनांक : . . . . प्रास्थिति . . . .

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पता व्यक्ति द्वारा भरा जाये)

व्यक्ति का नाम . . . .

डाक का पूर्ण पता . . . .

से अवधि . . . . से . . . . की विवरणी चालान क्रमांक . . . . .दिनांक . . . .
रुपये . . . . .के लिए सहित प्राप्त किया.

स्थान : . . . .

दिनांक : . . . .

प्राप्तिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरे नाम व पदनाम सहित

Raipur, the 30th May 2001

NOTIFICATION

No. 979/F/10/200/2001/CT/V/(17).—Whereas the State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought into force at once.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (NO. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in the said rules.

AMENDMENTS

In the said rules :

1. In rule 5 :

(1) In sub-rule (1) for word the "five" the word "seven" shall be substituted.

(2) In sub-rule (2) after clause (c), the following clause shall be inserted :

"(d) In case of goods liable to tax at the rate of eight per cent-

(i) Upto a turnover one lakh rupees : Four per cent of the turnover.

(ii) Turnover exceeding one lakh rupees Four thousand rupees plus eight per cent of the amount of the turnover exceeding one lakh rupees."

2. In sub-rule (4) of rule 19 after clause (c), the following clause shall be inserted-

"(d) Every registered dealer required to furnish return under clause (b) of sub-rule (1) shall furnish for the whole year, a copy of goods account, purchase list, computation sheet, documents relating to deductions shown in return and challan of payment of tax along with the last return for the year."

3. After rule 42, the following rules shall be inserted, namely :

"Rule 42-A Grant amendment and Cancellation of Certificate of Registration to person liable for tax deduction at source.

(1) An application for obtaining a Certificate of Registration under sub-section (1) of Section 35-B shall be made in form 42-A.

(2) on receipt of an application for registration the registering authority shall, if it is satisfied that the application is in order and the necessary particulars have been furnished, grant a Certificate of Registration in form 42-B. If the registering authority finds that the application is not in order or that all necessary particulars have not been furnished, it shall direct the applicant to furnish such additional information as may be considered necessary. After considering the additional information, the registering authority shall grant a certificate of registration in form 42-B.

(3) Where a person holding a Certificate of Registration granted under sub-rule (2) desires it to be amended or cancelled, he shall submit an application to the registering authority specifically stating the amendments or cancellation desired with reasons therefor, together with the Certificate of Registration and thereupon such authority shall, if satisfied, with the reasons given, amend or cancel the Certificate of Registration accordingly.

Rule 42-B Furnishing of returns by persons liable for tax deduction at source :

(1) every person liable for tax deduction at source registered under the Act, shall furnish a return in form 42-C, for each quarter on or before 30th day of the month following the quarter to which such return relates, showing there in payments made to suppliers/contractors and tax deducted from the payments.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), every person referred to shall furnish the return for every quarter by due date, even if no tax is in that sub-rule deducted from suppliers/contractors.

(3) Every return to be furnished under sub-rule (1) shall be accompanied by receipted challan in token of the payment

in accordance with the provision of Section 34 and 35, of the tax payable by the person according to such return."

4. In rule 91 after entry 10-A the following entry shall be added :

10-B and 35-C, 35-B In form to grant registration to impose penalty, Commercial Tax Officer or Assistant Commercial Tax Officer authorised in writing by the Commissioner.

5. After form 42 following forms shall be inserted :

"Form 42-A"
[See rule 42-A (1)]

Application for Registration for persons liable for tax deduction at source

To,

The Commercial Tax Officer,
Circle.....................................

I, hereby apply for a Certificate of Registration under Section 35-B of Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 as perparticulars given below :—

(1) Name of the applicant..................................... ....

(2) Address of the principal place of work (Building/Street/Road/Municipal ward/Town/City/Tehsil/District...............

(3) Status of the person signing the form (Whether proprietor/partner/principal/officer/agent/manager/director/secretary).................................

(4) Class of the person (whether individual/firm/company/corporation/society/club/association, etc.)............................

(5) If registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994/Central Sales Tax Act, 1956 the number of Registration Certificate :

(a) under Vanijyik Kar Adhiniyam...
(b) under Central Sales Tax Act...................... ....
(c) nature of supply/contract for which liability for tax deduction at source arises...

Place .... Signature...

Date.................................. Status................................ ....

(Strike out whichever is not applicable).

Acknowledgment

(Particulars of name and address to be filled in by the applicant Received an application for Registration in form 42-A)

From :—

Name of the applicant..
Full Postal address...

Place.....................................

Date ....

Signature of the receiving officer.

Form 42-B
[See rule 42-A (2)]

Certificate of Registration of persons liable for tax deduction at source

No. ....

This is to certify that the Proprietor/Partner/Principal/Officer/Agent/Manager/Head of Office of the establishment/ Firm/Club/Association/Society/Corporation/Company known as..and located at ....has been Registered under Section 35-B of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

The holder of the Certificate is liable for tax deduction at source for supplies/contracts of the nature.......................

Seal

Place ....

Signature..............................

Date ....

Designation..........................

Form 42-C
[See rule 42-B (1)]

Return by person liable for tax deduction at source

Return of tax payable for the period from........................to.........................

Name of the person..

Address...

Registration Certificate No. ....

S. No.	Details of Suppliers/ Contractor Name & Add. Reg. No. (if any)	Date of Payment	Amount paid	Nature of supply/ Contract for which Payment relates	Tax deducted from payment		Remarks
					Rate of tax	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Amount of tax payable...
Amount paid with Challan No. and date..
The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Place ....

Signature. ....

Date...

Status...................................

Acknowledgment

(Particulars of name and address to be filled by the person)

Received return for the period from................ ....to........................with Challan No. ....date........... for Rs. ....from.

Name of the person..

Full postal address...

Place...............................

Date..............................

Signature with full name and
Designation of the Receiving Officer.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 980/एफ/10/201/2001/वा.क./पांच (18).—चूंकि, राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वृत्ति कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है.

अतएव छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:

संशोधन

उक्त कथित नियम में,

1. नियम 21 के बाद निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जायेगा :
   नियम 21 क निगरानी का आवेदन-पत्र तथा अवधि

धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन निगरानी का आवेदन प्रारूप 17 क में होगा तथा पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेश के दिनांक से एक कैलेन्डर वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा. परन्तु, यदि, निगरानी कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध है तब यदि, अपील लंबित है या अपील प्रस्तुत करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, निगरानी प्रस्तुत नहीं की जायेगी.

2. प्रारूप 17 के बाद निम्न प्रारूप अंत: स्थापित किया जायेगा:

प्रारूप 17-क

(देखिए नियम 21-क)

निगरानी का ज्ञापन

प्रति,

....

....

मैं, एतद्द्वारा निगरानी करता हूं और आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं :

(1) पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक ....

(2) नियोजक/व्यक्ति का नाम ....

(3) [illegible] का पूर्ण पता ....

(4) वृत्ति, व्यापार, आजीविका का स्वरूप ....

(5) आक्षेपित आदेश जिसके विरुद्ध निगरानी की गई है में निहित कालावधि ....

(6) उस प्राधिकारी का नाम जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है ....

(7) आदेश की तारीख ....

(8) आदेश तामील किये जाने की तारीख ....

(9) मांग की गई रकम (1) कर ....

(2) शास्ति ....

योग ....

(10) मान्य कर की रकम ....

(11) जमा की गई रकम (1) कर ....

(2) शास्ति ....

योग ....

(12) विवाद की रकम ....

(13) आधार जिन पर निगरानी की गई है ....

आक्षेपित आदेश की एक प्रमाणित प्रति और कर/शास्ति जमा करने के प्रमाण में चालान की एक प्रति संलग्न है.

उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : .... हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... प्रास्थिति ....

Raipur, the 30th May 2001

NOTIFICATION

No. 980/F/10/201/2001/CT/V (18).—Whereas, the State Government considers that the following amendments in the Chhattisgarh Vritti Kar Niyam, 1995 should be made and brought in to force at once.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in the said rules, namely :

AMENDMENTS

In the said rules :

1. After rule 21 following rule shall be inserted :

Rule 21-A : The period and the form of application of revision.

An application for revision under sub-section (1) of Section 18 shall be in form 17-A and shall be presented within one calendar year from the date of order to be revised. But if the revision is against an assessment order, then no revision shall be filed if appeal is pending or time for filling appeal has not expired.

2. After form 17 following form shall be inserted :

Form 17-A
(See rule 21-A)

MEMORANDUM OF REVISION

To,

....
....

I, hereby apply for revision and furnish the necessary particulars :

(1) Registrarion Certificate No. ....
(2) Name of the employer/person ....
(3) Address..............................
(4) Style of Profession/Trade/Calling..............................
(5) Period involved under impugned order against which revision is preferred..............................
(6) Name of the authority who passed the Impugned order..............................
(7) Date of order ....
(8) Date of service of order..............................
(9) Amount demanded (1) Tax ....
(2) Penalty ....
Total ....
(10) Amount of admitted tax ....
(11) Amount Paid (1) Tax..............................
(2) Penalty..............................
Total ....
(12) Amount in dispute..............................
(13) Grounds on which revision has been preferred ....

A certified copy of the impugned order and a copy of challan in proof of payment of tax/penalty are enclosed.

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature..............................

Place ....

Status....................................

Date......................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.